

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2022

क्रमांक/एफ 1-68/2021/1/59/यू जी. : राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 469 में प्रकाशित अधिसूचना कं /एफ 1-68/2021/1/59/यू जी. दिनांक 26/11/2021 में अधिसूचित म. प्र. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2021 के नियम-9.6 एवं 9.14 के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:-


1. नियम-9.6 - रजिस्ट्रेशन :-

रजिस्ट्रेशन शुल्क "रुपये 150/-" के स्थान पर "रुपये 500/-" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. नियम-9.14 - संस्था का चयन :-

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक च्वाइस फिलिंग/संशोधन/परिवर्धन के लिये रुपये 50/- प्रति प्रक्रिया चरण निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आवेदनानुसार



(पंकज शर्मा)
उप सचिव
आयुष विभाग